Nature Code
Our planet is not for sale

Carbon Market Watch

#6 July 2013

पारखी नज़र

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

सम्पादकीय

हमारे एन जी ओ की पत्रिका 'पारखी नज़र! कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़' के ग्रीष्मकालीन संस्करण में आपका स्वागत है!

यह कोई गुप्त बात नही रह गई है कि कार्बन बाज़ार का अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है। कार्बन का वर्तमान दाम प्रोजेक्टों को उनके संचालन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है तो यह सोचना कि कार्बन की कमाई से प्रोजेक्टों को चलाया जाएगा यह तो दूर की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं वे वह हैं जो कि गैर अतिरिक्त हैं क्योंकि अन्यथा उन्हें चलाना संभव ही नहीं हो सकता। अन्य 'नीरस प्रोजेक्टों' ने तो काम करना ही बन्द कर दिया है। यह उस चमत्कार को समझाने के लिए काफी है कि कैसे हाल में 7000वाँ प्रोजेक्ट पंजीकृत हुआ है। इसके साथ साथ मौसम की अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के अभाव में नई क्षेत्रीय स्कीमें जिनमें पूर्ति के कारक भी हैं वे भी पूरी दुनिया में विकसित की जा रही हैं व स्वैच्छिक बाज़ार फल फूल रहा है। इससे पहले कि इनका प्रभाव सुधार करने लायक भी न रहे समय रहते इनकी कमियों व दोषों को पूरा किया जाना चाहिए। जनता की तहकीकात इसलिए सबसे अधिक रहने की संभावना है।

इस संस्करण में आप ई यू के मौसम परिवर्तन के **वास्तविक कार्यों में तेज़ी** लाने की आवश्यकता व सस्ते **आफ्सेट क्रेडिटों में निवेश** को रोकने के लिए कड़े नियमों की ज़रूरतों के विषय में पढ़ेंगे। हम **चीन के कार्बन बाज़ारों** के बारे में बात करेंगे और व चल रहे **सी डी एम सुधारों** पर भी नज़र डालेंगे। हमारे नेटवर्क के मेहमान सदस्यों के द्वारा लिखे गए लेख आपको पनामा व भारत लेकर जाएँगे जहाँ आप **परेशानी देने वाले सी डी एम प्रोजेक्टों, कोयले का भारत में प्रभाव** और **सी डी एम के माध्यम से दीर्घकालिक विकास में योगदान** की कमी के विषय में जानेंगे। अन्त में हम यह सीखेंगे कि क्यों **भूमि कार्बन बाज़ारों व ईको सिस्टम ऑफ्सेटिंग** को शुरू करने की ज़रूरत है।

'पारखी नज़र! कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़' त्रैमासिक पत्रिका है जो अंग्रेज़ी व हिन्दी में अभियान के बारे में आपको अवगत कराती है और दुनिया भर के विचारों को लाकर आपके सामने रखती है। यदि आप अगले संस्करण में अपना योगदान देना चाहते हैं या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृप्या

antonia.vorner@carbonmarketwatch.org
पर सम्पर्क करें।

पारखी नज़र!
एन जी ओ पर कार्बन मार्केट की आवाज़
सूचनापट्ट
page. 19

विषय वस्तु

ई यू की कायर हरी प्रतिज्ञा
page. 2

श्रेय जहाँ श्रेय देना उचित है?
page. 3

चीन के उभरते हुए कार्बन बाज़ारों पर एक नज़र
page. 5

कार्बन बाज़ार की अन्तर्राष्ट्रीय सनक
page. 6

सी डी एम में सुधार - एक असंभव मिशन
page. 7

वारो ब्लांको: सीधे प्रभावित लोगों के द्वारा सी डी एम के सुधार के लिए आव्हान
page. 8

भारत में कोयला कुछ भी देने में असफल
page. 10

नल्लाकोंडा: अधर में लटका हुआ
page. 11

गरीबों के हक के कार्बन प्रोजेक्टों के लिए एक केस
page. 13

भारत के अनोखे सी डी एम दीर्घकालिक कोष पर दबाव
page. 14

भूमि कार्बन बाज़ारों द्वारा छोटे व हाशिए पर किसानों के हित की अनदेखी
page. 16

प्रकृति को संतुलित करना
page. 18

ई यू की कायर हरी प्रतिज्ञा

एडिला पुटेनेलू,
पॉलिसी असिस्टेन्ट,
कार्बन मार्केट वॉच

ई यू के योजना बनाने वाले सन् 2000 के मौसम कानूनों का अंदाज़ा लेना चाहते हैं ताकि 2030 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकें और उन्हें ई यू की प्रतिज्ञा जो कि कोयोटो पूर्व समझौते में जो कि पेरिस में 2015 में तय होना है उसमें डाल सकें। यूरोपियन कमीशन ने एक हरे पत्र (ग्रीन पेपर) का विमोचन किया है जिसमें जनता के साथ परिचर्चा भी शामिल की गई है जहॉ कि 2030 के लिए मौसम व ऊर्जा के लिए योजना का ढॉचा बनाने पर चर्चा हुई है। यह संदर्भ सुधार के लिए एकदम सही है: स्राव विक्रय का एक बीमार बाज़ार जो कि यूरोप में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में नाकामयाब रहा, कार्बन डाय ऑक्साइड के गिरते दाम और अत्यन्त कम पर्यावरण अखंडता वाले अन्तर्राष्ट्रीय ऑफ्सेटों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता।

अंदाज़ा लेना

'2030 का मौसम व ऊर्जा ढॉचा' ई यू के मौसम के प्रयासों की सीढ़ी की एक और पायदान है जो कि विश्व में तापमान में बढ़ोत्तरी को 2 डिग्री सेन्टीग्रेड तक कायम रखने की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ है। 2030 के ढॉचे में सहमति के साथ ई यू अपने स्राव कम करने के लक्ष्य को अपनी कोपेनहैगन की प्रतिज्ञा के तहत 1990 के स्तर से 80 से 85 प्रतिशत कम करने की दिशा ही में बना हुआ है। परन्तु यह ई यू की मौसम योजना के बहुत ही मुश्किल पड़ाव पर आया है। ई यू के 2020 में 1990 से 20 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य का दबाव दिखाई दे रहा है। ऑकड़ों से पता चलता है कि एक बार अन्तर्राष्ट्रीय ऑफ्सेट को ध्यान में रखा जाए तो ई यू 7 वर्ष आगे चल रहा है - 1990 के स्तर से 27 प्रतिशत नीचे। इसके साथ साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय ऑफ्सेट ई टी एस की दो तिहाई जमा की हुई अत्यधिक आपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार है। 2030 के लिए यूरोपियन कमीशन ने 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह 2 डिग्री के लक्ष्य के नीचे रहने से मेल नहीं खाता और मौसम बदलाव के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में तेज़ी लाने की मेज़बान महत्वाकांक्षा में कोई बढ़ोत्तरी नहीं करता।

ई यू की योजना के उपकरण सस्ते अन्तर्राष्ट्रीय ऑफ्सेटों पर बहुत अधिक हद तक निर्भर करते हैं

औद्योगिक स्रावों को कम करने वाले मुख्य उपकरण एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई यू ई टी एस) में अभी भी 2 बिलियन स्राव भत्तों की गैर ज़रूरी आपूर्ति है जो कि एक टन कार्बन डाय ऑक्साइड का दाम 2008 में 20 यूरो से गिर कर अप्रैल 2013 में सबसे कम 2.74 यूरो तक कराने के लिए ज़िम्मेदार है। वर्तमान में यह दाम करीब 4 यूरो के आसपास रहता है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो वर्तमान में कोयला जलाना प्राकृतिक गैस को जलाने से सस्ता है और ई यू के उद्योग को फॉसिल के ईंधन से दूर जाने के लिए संवेदनशील बनाना तो खैर बहुत दूर की बात है। और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह भी है कि ऑफ्सेटों का खाता अत्यधिक आपूर्ति के दो तिहाई से भी ज़्यादा है। अपनी पर्यावरण अखंडता व नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के लिए बदनाम होने के कारण ई यू के योजना बनाने वालों को 2030 के मौसम के ढॉचे को तैयार करते समय ऑफ्सेटों के प्रयोग को कम करने पर एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है।

दुर्भाग्य से ऑफ्सेटों की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होतीं। ई यू के मौसम योजना का कमर तोड़ने वाला एफर्ट शेयरिंग डिसिज़न (ई एस डी) वह कानूनी मुद्दा है जो ई टी एस के साथ मिलकर चौड़े आर्थिक लक्ष्य स्थापित करने का इरादा रखता है। यह सदस्य देशों के लिए यातायात, बिल्डिंगों, खेती व कूड़े से निकलने वाले स्रावों को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करता है। परन्तु वर्तमान में ये लक्ष्य काफी ढीले ढाले हैं और वह सदस्य देशों को अपने तय किए गए कमियों से कई गुना ज़्यादा केवल ऑफ्सेटों के प्रयोग से प्राप्त करने देता है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि एच एफ सी 23 और एन 2 ओ एडिपिक एसिड ऑफ्सेट जो कि ई यू ई टी एस से मई 2013 से निष्कासित कर दिए गए हैं क्योंकि वे नकली स्रावों की कमी को दर्शाते हैं और इन्हें भी ई एस डी से निष्कासित नहीं किया गया है। यह दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ई एस डी के अर्न्तगत ऑफ्सेटों के प्रयोग में तुरन्त सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि ई एस डी का अस्तित्व बरकरार रह सके।

चित: ईयोवसर्वर

EU policymakers now have an important window of opportunity to act decisively on eliminating offset usage in the EU and, at the same time, strengthen its policy instruments to spur real action on climate change

और अधिक महत्वाकांशा की आवश्यकता है जो क्या ई यू दिखा पाएगा?

नवीनतम रिपोर्टों के माध्यम से पता चला है कि वर्तमान योजानाएँ संसार को स्रावों की ऐसी राह पर लाकर रखती हैं जहाँ कि तापमान में बढ़ोत्तरी 3. 6 और 5.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। इसके साथ साथ दुनिया की सभी सरकारें इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि वे ऐसी योजनाओं को लागू करें जो कि तापमान में अर्न्तराष्ट्रीय बढ़ोत्तरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकें। ई यू अर्न्तराष्ट्रीय मौसम के प्रयासों में अग्रणी माना जाता है परन्तु वह भी आगे बढ़ चढ़ कर सही उदाहरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है। वर्तमान का 2020 का उसका लक्ष्य मौसम के लिए कार्यों में औरों को प्रोत्साहित करने में उसकी भागीदारी काफी कम है।.
मौसम व ऊर्जा के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरूआत एक ढाँचागत सुधार के साथ होनी चाहिए ताकि ई यू ई टी एस की अर्न्तराष्ट्रीय ऑफ्सेटों पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जा सके। ई टी एस व ई एस डी दोनों की गुणवत्ता व मात्रा जो कि 2020 के पहले थी वही आगे चल कर 2020 के पश्चात ऑफ्सेटों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में कामयाब हो सकती है। इन परिवर्तनों की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कम्पनियों द्वारा ऑफ्सेटों के प्रयोग पर ई यू ई टी एस को स्वीकारने व पर्यावरण अखंडता में कमी के सबूत मिलना मुश्किल होता है। यदि यह अपने आप में एक मुख्य कारण न भी होता तो ऑफ्सेट पर्मिटों की अत्यधिक आपूर्ति ने ई यू के अपने अपने देशों में स्राव कम करने के प्रयासों के सम्बन्ध में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित संदेश ही दिए हैं। ई यू के योजना बनाने वालों के पास अवसरों की एक खिड़की खुली हुई है जिसके द्वारा वे ई यू में ऑफ्सेट के प्रयोग को बन्द कर सकते हैं और अपनी योजना के उपकरणों को मौसम परिवर्तन के वास्तविक कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। **ई यू के 2030 की मौसम व ऊर्जा ढाँचे पर हमारे सुझावों को पढ़ने के लिए कृप्या यहाँ देखें** here.

श्रेय जहाँ श्रेय देना उचित है?

एन्ड्रू कोएली, दक्षिण एशिया प्रोजेक्ट को ओरडिनेटर, कार्बन मार्केट वॉच

यूरोपियन यूनियन द्वारा उसकी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई टी एस)जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्रावों के क्रय विक्रय का माध्यम है, उसके जो नए ऑकड़े निकाले गए हैं उनके अनुसार उड्डयन के लिए गुणवत्ता के ऐसे मानदंडों की आवश्यकता है जो उन सस्ते ऑफ्सेट केडिटों में निवेश पर रोक लगा सकें जो कि स्पष्टत: पर्यावरण अखंडता में कम हैं।

हाल के कुछ वर्षों में अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन पर अपने क्षेत्र में स्रावों को कम करने को लेकर काफी दबाव रहा है। जो विकल्प इन्हें प्राप्त करने के लिए उनके सामने उपलब्ध हैं वे हैं 100 प्रतिशत ऑफ्सेटिंग व ईंधन में बचत। हालांकि अर्न्तराष्ट्रीय मानव उड्डयन संस्थान (इन्टरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन, आई सी ए ओ)के माध्यम से हुई धीमी प्रगति के कारण उन समझौतों पर जो कि स्रावों को कम करने के लिए बाध्य करते हैं यूरोपियन यूनियन ने तय किया है कि 2012 से शुरू करके ई यू से जाने वाली व वहाँ आने वाली सभी उड़ानें को अपने स्रावों का ब्यौरा देना होगा और वे उसकी कैप एन्ड ट्रेड स्कीम में शामिल भी होगा (ई यू ई टी एस)।
एयरलाइनों को अपने स्रावों का 15 प्रतिशत अर्न्तराष्ट्रीय ऑफ्सेटों से कम करना होगा।

मई 2013 में ई यू की यूनियन रजिस्ट्री ने उन सभी ऑफ्सेट केडिटों की एक व्यापक सूची comprehensive list तैयार की है जो कि 2012 की उसकी स्कीम के तहत सौंपे किए गए। उन 12.5 मिलियन ऑफ्सेटों में से जो कि उन्हें प्रयोग करने के लिए मान्य थे एयरलाइनों ने करीब 11 मिलियन ऑफ्सेटों का प्रयोग किया और

5.6 व 5.3 मिलियन क्रमश: क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) और जॉइन्ट इम्पलीमेन्टेशन कमिटी (जे आई) से आए। **.ई यू में उड़ने वाली एयरलाइनों में से सबसे ज़्यादा स्राव निष्कासित करने वाले थे लुफ्थान्ज़ा, रायनएयर व ईज़ीजेट जो कि 5.12 मिलियन ऑफ्सेटों के लिए ज़िम्मेदार थे जो कि प्रयोग किए गए ऑफ्सेटों का करीब करीब आधा था।**

कार्बन मार्केट वॉच ने 20 सबसे बड़ी एयरलाइनों को ध्यानपूर्वक देखकर इस बात का विश्लेषण किया कि कौन सी एयरलाइन अपने मौसम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के ऑफ्सेट का प्रयोग करती है। ई यू ई टी एस के अन्दर सबसे ज़्यादा स्राव निकालने वाले ने एच एफ सी 23 और एन 2 ओ (एडिपिक एसिड) प्रोजेक्टों में से 22 मिलियन कार्बन केडिट वापस किए।

7000 सी डी एम व 600 जे आई प्रोजेक्टों से भी अधिक वर्तमान में यू एन की लचीली प्रणाली के द्वारा मान्य हैं। इसके साथ साथ एयरलइनों के द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑफ्सेटों का जन्म केवल मुट्ठी भर ज़्यादा केडिट देने वाले प्रोजेक्टों से होता है। **इसका ई टी एस में परिणाम यह होता है कि सी डी एम व जे आई के 28 प्रतिशत ऑफ्सेट केडिट जो बेकार गैस एच एफ सी 23 को नष्ट करते हैं वे 20 सबसे बड़े चालकों से आते हैं।** साथ साथ यह नए ऑकड़े एयरलाइनों की इस मामूली वचनवद्धता को भी दिखाते हैं कि कम्पनियॉ सी डी एम के मेज़बान देशों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का समर्थन करती हैं।

एच एफ सी 23 व एन 2 ओ (एडिपिक एसिड) का प्रयोग ई यू ई टी एस में 2011 से पूरी तरह वर्जित कर दिया गया था क्योंकि इस साल मई के महीने से उनके अति निर्माण और कार्बन लीकेज में लूपहोल सामने आए थे। एयरलाइनें अपने केडिटों की खराब पर्यावरण गुणवत्ता को तबसे पहचानती थीं जबसे वे ई यू ई टी एस से 2012 में जुड़ी थीं। अधिक जनकारी के लिए हमारे पत्र **briefing paper** को पढ़ें।

उबड़ खाबड़ उड़ान की शुरूआत!

यदि हम उन नामचीन एयरलाइनों से यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वे अपना समर्थन कम दाम व ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले प्रोजेक्टों को नहीं देंगे तो सरकार किस प्रकार से अन्य ऊर्जा गहन उद्योगों को कुछ अन्यथा करने की दिशा में ले जा सकती है?
उन केडिटों के प्रकार को जो कि एयरलाइनों के द्वारा 2012 में वापस कर दिए गए उन्हें ध्यानपूर्वक देखने से इस बात पर कोई शक नहीं रह जाता कि यदि ऑफ्सेट केडिटों की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना है तो वह बगैर कठोर पर्यावरण नियमों के हमेशा बाज़ार की प्रणाली के नापे जा सकने वाले लाभ को लेकर असमंजस में ही रहेगा
यदि अर्न्तराष्ट्रीय सरकार वास्तव में मौसम परिवर्तन के यथार्थ का सामना करना चाहती हैं तो उन्हें उन उद्योगों के सहयोग से बचना होगा जो कि पर्यावरण के शोषण का मार्ग अपनाती हैं।

20 सबसे विख्यात एयरलाइनें' सी डी एम ऑफ्सेट ह्यटी सी ओ2ई ह

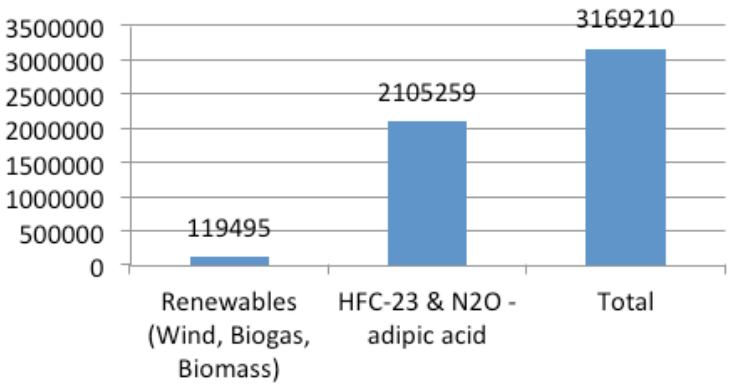

2012 में 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों द्वारा ई यू ई टी एस के अर्न्तगत प्रयोग किए गए ऑफ्सेटों की मुख्य बातें:

- 2012 में सबसे अधिक स्राव फैलाने वाली एयरलाइन रहीं रायनएयर और लुफ्थान्ज़ा
- एयरलाइनों ने 11 मिलियन ऑफ्सेट केडिटों का प्रयोग किया

- 1 मिलियन सी ई आर से भी अधिक 9 एच एफ सी 23 विनाशकारी प्रोजेक्टों से आए। फिलहाल इन्हें अपनी पर्यावरण अखंडता में कमी के लिए ई यू ई टी एस से निष्कासित कर दिया गया है।

यदि अर्न्तराष्ट्रीय सरकार वास्तव में मौसम परिवर्तन के यथार्थ का सामना करना चाहती हैं तो उन्हें उन उद्योगों के सहयोग से बचना होगा जो कि पर्यावरण के शोषण का मार्ग अपनाती हैं।

- ईज़ीजेट, लुफ्थान्ज़ा और एयरफ्रान्स ने 420.000 केडिट चीन और दक्षिण कोरिया के एन 2 ओ एडिपिक एसिड प्रोजेक्टों से खरीदे और इसके कारण इन्हें भी उ न्हीं कारणों से निष्कासित किया गया है।
- लुफ्थान्ज़ा ने केडिटों का सबसे बड़ा हिस्सा (650.000 ई आर यू) जे आई ट्रैक 1 प्रोजेक्ट से खरीदा जिसने दावा किया है कि उसने प्रोविएस्को ऑयल फील्ड, जो कि संसार की सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, से 2007 और 2011 के बीच असोसिएटिड पेट्रोलियम गैस को कम किया है।
- एच एफ सी 23 प्रोजेक्ट सी ई आर को लाने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट थे - 400.000 और 380.000 सी ई आर जो कि चीनी एच एफ सी 23 प्रोजेक्ट से निकले थे उन्हें क्रमश: ईज़ीजेट व ब्रिटिश एयरवेज़ को बेचा गया था।
- कुल मिलाकर रायनएयर ने 1.1 मिलियन सी ई आर सात एन 2 ओ कम करने वाले प्रोजेक्टों से, चार एच एफ सी 23 प्लांटों से और तीन विंड पार्कों से खरीदे।
- लुफ्थान्ज़ा ने 740.000 केडिट तीन ट्रैक 1 जे आई प्रोजेक्ट जो रशिया और यूक्रेन में हैं व एक एन 2 ओ एडिपिक एसिड प्रोजेक्ट जो चीन में हैं उनसे खरीदे हैं।

चीन के उभरते हुए कार्बन बाज़ारों पर एक नज़र

डिएगो मार्टिनेज़ शुट्ज़, पॉलिसी ऑफिसर, कार्बन मार्केट वॉच

हैंग्ज़ाउ शहर का दृश्य , चित्र : डिएगो मार्टिनेज़ शुट्ज

18 जून को चीन के शेनज़ेन शहर में पहली बार एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ई टी एस) की शुरूआत हुई। हालांकि शेनज़ेन का ई टी एस केवल करीब 30 मिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साइड को ही अपने अन्दर लेगा परन्तु यह कदम चीन का भविष्य में कार्बन बाज़ार में आने की दौड़ का पहला कदम है। इनके शुरूआती दौर में किसी भी कमियों को उजागर करने के लिए जनता की पैनी नज़र सदैव सतर्क रहेगी ताकि आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले कार्बन बाज़ार की पर्यावरण अखंडता को सुधारा जा सके।

एतिहासिक रूप से अधिक ज़िम्मेवारी न लेने के बावजूद भी चीन दुनिया को अपने मौसम के कार्यों में लिए गए महत्वाकांक्षी कदमों से चकित कर रहा है। यह अन्य देशों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा है कि वे चीन के कार्बन कय विकय पर नज़र डालें। **उदाहरण के लिए चीन की वर्तमान पंचवर्षीय योजना (2011 से 2015) में सात ई टी एस प्रोजेक्ट जो कि 2013 के अन्त तक 5 शहरों व दो राजधानियों में चालू हो जाएँगे, उनके माध्यम से धीरे धीरे कार्बन कय विकय को लाने की दूर दृष्टि दिखाई देती है।** शेनज़ेन का ई टी एस शुरूआत करने वाला पहला होगा। कार्बन का व्यापार चीन की राष्ट्रीय योजना का मुख्य मुद्दा है जो कि ग्रीन हाउस गैस स्रावों को कम करने के लिए 2005 के स्तर से 2020 तक जी डी पी को 40 से 45 प्रतिशत तक लाने का अनुमान है। यह प्रतिज्ञा कोपेनहैगन में 2009 में सी ओ पी 15 में ली गई थी। ई टी एस के सात पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में चीन के कार्बन बाज़ार के लिए परीक्षण करेंगे व उसकी अगली पंचवर्षीय योजना (2016 से 2020) में शामिल किए जाएँगे। यदि यह कार्यान्वित हो गया तो यह भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाज़ार बन जाएगा।

शेनज़ेन के ई टी एस का आरम्भ

शेनज़ेन का ई टी एस कैप एन्ड ट्रेड प्रणाली के विचार का पालन करता है। कैप एन्ड ट्रेड की प्रणाली स्रावों को कार्बन कैप लगाकर सीमित करती है। कैप या तो ज़रूरत पर आधारित हो सकती है या फिर स्वतन्त्र। एक स्वतन्त्र कैप जाने पहचाने स्राव कम करने के रास्ते चलती है जबकि ज़रूरत पर आधारित कैप अधिक लचीली होती है और आर्थिक प्रदर्शन से बँधी होती है। चीन के ई टी एस के नमूने की योजना ट्रेडिंग स्कीम के अर्न्तगत स्रावों को बढ़ने की अनुमति देती है। इसमें विकास की ज़रूरतों को शामिल होना चाहिए जिनके द्वारा स्रावों में बढ़ोत्तरी हो। ई यू ई टी एस में व्याप्त अनिश्चितताओं के कारण यह कैप एन्ड ट्रेड प्रणाली पर्यावरण कार्यान्वनता को और भी अनिश्चित बना देती है।

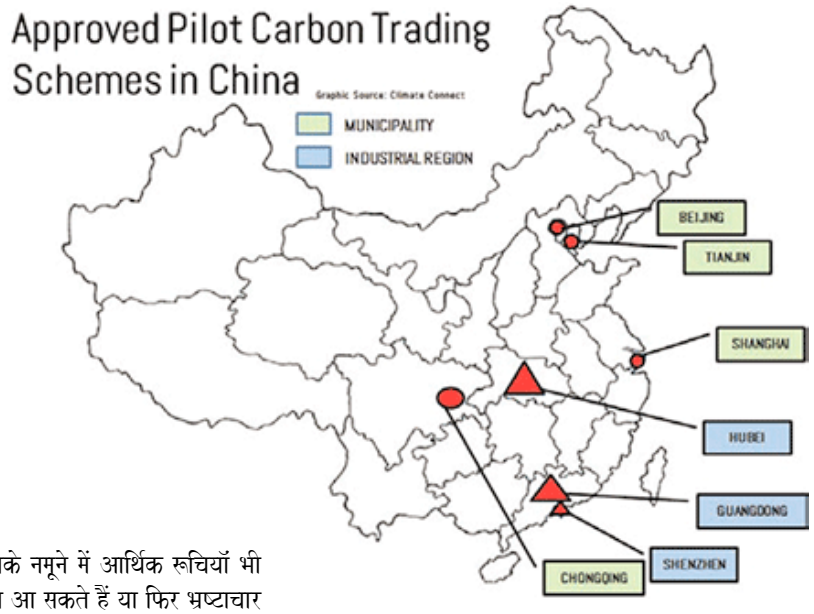

कार्बन बाज़ारों की पर्यावरण कारगरता तब और भी कम हो जाती है जब कि उसके नमूने में आर्थिक रूचियाँ भी काम कर रही हों। इसके कारण दुरूपयोग हो सकता है व किराए आदि के मुद्दे सामने आ सकते हैं या फिर भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। साथ साथ महत्वाकांक्षी एमिशन कैप के अभाव में चीन लम्बे समय के कम कार्बन वाले प्रलोभनों की उम्मीद भी नहीं कर सकता। यदि स्थानीय सरकार कम्पनियों को बहुत अधिक निर्णय लेने का हक दे देगी तो कम्पनियाँ भविष्य में कार्बन व्यापार के नियमों में चीन के कार्बन बाज़ारों में अपना हक जमा लेंगी।

यदि ऐसी कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हो जाती हैं तो चीन की ई टी एस योजना काफी खराब भी हो सकती है।

जनता की पैनी नज़र की कुंजी

जैसे जैसे चीन के ई टी एस पायलेट सामने आएँगे प्रणाली का कोई भी दोष भविष्य में कई लूपहोल सामने ला सकता है। इसीलिए स्वतन्त्र संस्थाओं व भद्र समाज की भागीदारी बहुत ज़रूरी है ताकि चीन के कार्बन बाज़ार की पर्यावरण अखंडता को मज़बूती मिल सके। कोई भी कमियों को शुरू में ही दूर करना होगा ताकि बाद में दोष दूर करना मुश्किल न हो। इसीलिए कार्बन मार्केट वॉच वर्तमान में चीन के एन जी ओ, सोच विचार करने वाले व्यक्तियों व शैक्षणिक समुदाय को चीन के कार्बन बाज़ारों पर नज़र रखने के लिए एकजुट कर रहा है। यदि हमारे इस काम में आप रूचि रखते हैं तो हमसे सम्पर्क करें diego.martinez-schuett@carbonmarketwatch.org या हमारा ब्लॉग यहाँ पढ blog here

कोई भी कमियों को शुरू में ही दूर करना होगा ताकि बाद में दोष दूर करना मुश्किल न हो

कार्बन बाज़ार की अर्न्तराष्ट्रीय सनक

ईवा फिल्ज़मोज़र, डायरेक्टर, कार्बन मार्केट वॉच

icat` saaOjanya saoÁ ra^na ra^na ra^na

वॉरसॉ में होने वाली सी ओ पी 19 से उम्मीद की जा रही है कि वह बाज़ार पर आधारित प्रणालियों के मुख्य उत्पादों को सुरक्षित कर सकेगी। यह एन एन एम व एफ वी ए की पायलट स्कीमों का रूप ले सकते हैं। विभिन्न देशों के विचारों में अलग अलग विशिष्टताओं को लेकर मतभेद को देखते हुए और ऑफ्सेट केडिटों की अत्यधिक आपूर्ति जो कि पहले से ही बाज़ारों में व्याप्त है, यह काफी लापरवाह योजना प्रतीत हो रही है।

सी डी एम और जे आई के ऑफ्सेट केडिटों की अधिक आपूर्ति को व मॉग में कमी को देखते हुए बाज़ार की नई प्रणली को लाने की कोई ख़ास इच्छा नहीं दिखाई देती। हालांकि मौसम की अर्न्तराष्ट्रीय वचनबद्धता के अभाव में नई क्षेत्रीय मान्य स्कीमों में जिसमें अक्सर ऑफ्सेटिंग का भाग शामिल होता ही है उसे कई देशों में विकसित किया जा रहा है जिसमें जापान, कैलिफोर्निया और चीन शामिल हैं। **एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किस हद तक ये नए द्विपक्षी या क्षेत्रीय बाज़ार प्रणालियॉ को नियमों के यू एन एफ सी सी सी के साझे ढॉचे का पालन करना चाहिए और क्या अलग अलग प्रकार के ऑफ्सेट अलग अलग स्कीमों में प्रयोग किए जा सकते हैं या नहीं।**

हालांकि मौसम की अर्न्तराष्ट्रीय वचनबद्धता के अभाव में नई क्षेत्रीय मान्य स्कीमों में जिसमें अक्सर ऑफ्सेटिंग का भाग शामिल होता ही है उसे कई देशों में विकसित किया जा रहा है

बॉन में पार्टियॉ कई ऐसे निरूत्तरित प्रश्नों को सामने लेकर आई जो कि इस नई बाज़ार प्रणाली (न्यू मार्केट मेकोनिज़्म एन एम एम), फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ (एफ वी ए) व नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोचेज़ (एन एम वी ए) को स्थापित करने को लेकर आई व पार्टियों और पर्यवेक्षक संस्थाओं से 2 सितम्बर 2013 तक अपने विचार रखने को कहा। इन प्रश्नों पर एक बार फिर से विशेष कार्यशालाओं में चर्चा की जाएगी जहॉ तीनों विषयों को सामने लाया जाएगा और अन्त में वॉरसॉ में इस वर्ष नवम्बर में सी ओ पी 19 चर्चा होगी।

फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ (एफ वी ए)

हालांकि यू एस के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश एफ वी ए पर परिचर्चाओं में लगे हुए हैं परन्तु इस बात को लेकर कोई साझा मत नहीं है कि एफ वी ए का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। पार्टियों ने इस बात पर आने वाले वॉरसॉ में मौसम की समझौता वार्ता की तैयारी में अपना ध्यान केन्द्रित करने का निश्चय किया है। पहचान किए गए मूल प्रश्नों का केन्द्र एफ वी ए के उद्देश्य व कार्यक्षेत्र और पर्यावरण अखंडता बनाए रखने में उसकी भूमिका पर रहेगा। सभी प्रश्नों को विस्तार से जानने के लिए कृप्या यहॉ जाकर देखें here.

न्यू मार्केट मेकोनिज़्म (एन एम एम)
डस्थ्रिुर्सेर्न्सि न तहए णं ारए स्ल्गिहतल्ट्मेरए ादवन्च्एद तहान तहेसए फेर तहए फ्यअ। खएए थ्रुएस्र्तोन्सि ते बए दस्थ्रिुस्सएद रएलतए ते हेव्ह्र तहए णं सि दफिफएरएन्त फरेम एक्षस्तिन्ि मरकएर्तबसएद मएच्हानस्मि ान्द तहए हेव्ह्र तहए ातुहेरतिाुन्दएर तहए छैप ह्वल्लि बए दएसग्निएद। टे सएए ाल्ल थ्रुएस्र्तोन्सि च्लच्कि here.

नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोचेज़ (एन एम बी ए)
एफ वी ए बाज़ार व गैर बाज़ार दोनो ही परिदृष्यों में काम करेगा इसलिए कई देशों ने गैर बाज़ार सम्बन्धित परिचर्चाओं को करने पर अधिक ज़ोर दिया। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पार्टियों का गैर बाज़ार दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। एन एम बी ए (जो कि स्पष्ट तौर पर एक गैर बाज़ार दृष्टिकोण ही होगा) जैसी गैर बाज़ार प्रणाली से व्यापार किए जाने वाले केडिटों के बारे में विचार व इस बात पर सुझाव कि विकासशील देशों में गैर बाज़ार कार्यों को आर्थिक मदद कैसे दी जाए जैसी परिचर्चाएँ ग्रहण करने के लिए न कि कमी लाने के लिए की जानी हैं। पहचान किए गए प्रश्न इसलिए इस बात पर केन्द्रित हैं कि नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच वास्तव में है क्या और उसका कार्यक्षेत्र क्या है व मार्केट बेस्ड अप्रोच से इसमें क्या लाभ हैं। सभी प्रश्नों को जानने के लिए यहाँ जाकर देखें see here.

सी डी एम में सुधार - एक असंभव मिशन

ईवा फिल्ज़मोज़र, डायरेक्टर, कार्बन मार्केट वॉच

चित्र: डेविड ब्लैकवेल

इस वर्ष क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) के मूलभूत नियमों में सुधार किया जाएगा। बॉन में हुए समझौते ने इस सुधार को आगे लेकर जाने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि एक यू एन एफ सी सी वर्कशॉप जो कि बॉन में हुई थी उससे पता चला कि समझौता वार्ता करने वालों ने अन्ततः सी डी एम की कुछ मुख्य समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया है। हालांकि क्या यह बहुत देर में नहीं है?

क्योंकि सी डी एम व जे आई दोनों पर ही सब्सीडिएरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेन्टेशन (एस बी ए) के अर्न्तगत चर्चा हो चुकी थी तो उन पर बॉन में चर्चा नहीं की गई और रशिया, बेलारूस और युक्रेन ने समझौतों की परिचर्चा के दौरान एजेन्डे पर कब्ज़ा कर लिया था।

बॉन में सी डी एम सुधार की वर्कशॉप
बॉन में यू एन एफ सी सी सी सेकेटेरियट ने एक विशिष्ट वर्कशॉप सी डी एम के तौर तरीकों के लिए आयोजित की। क्योंकि आधिकारिक समझौता रूका हुआ था इसलिए कई सदस्यों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। यहाँ here दी गई आधिकारिक रिपोर्ट दुर्भाग्य से परिचर्चा की केवल एक टिप्पणी मात्र ही है। हालांकि कार्बन मार्केट वॉच व सेन्टर ऑफ इन्टरनैशनल एनवायरॉन्मेन्टल लॉ (सी आई ई एल), अर्थ जस्टिस और पनामा के समुदाय के प्रतिनिधि इस आशा के साथ वापस लौटे कि मूल मुद्दे जैसे कि मानवाधिकारों पर कभी न कभी विचार ज़रूर किया जाएगा।

सी डी एम की वर्कशॉप ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया जहाँ कि प्रतिनिधियों के दिमाग को तरो ताज़ा करके ऑफसेटिंग और लचर अतिरिक्तता के नियमों की याद दिला दी। वर्कशॉप की एक और महत्वपूर्ण बात उन तकनीकों

दोहा की ए ए यू के निर्णय ने किस प्रकार सी डी एम सुधारों को बाधित किया

रशिया, बेलारूस और युक्रेन अपना असंतोष इस बात पर दिखाना चाहते थे कि दोहा के सी ओ पी 18 में किस प्रकार अन्तिम कागज़ातों को चेयर ने बगैर उन्हें सहमति देने का मौका दिए पास कर दिए थे। ये तीनों देश विशेषकर जो अतिरिक्त ए ए यू कोयोटो वचनबद्धता की अवधि के थे उनसे सम्बन्धित निर्णय से नाखुश थे व उन नए नियमों से भी जिनके द्वारा वचनबद्धता की दूसरी अवधि के दौरान भी नई अधिकता के बनने में रूकावट आएगी। यह स्पष्ट था कि रशिया का समझौता वार्ता को सुधारने का कोई इरादा नहीं था (उन्होंने कई वर्षो तक इस प्रकिया को बाधित करके रखा है)। ऐसा लग रहा था कि मानो रशिया प्रकिया में अवरोध डालने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना चाह रहा है।

को हटाने को लेकर थी जो गैर अतिरिक्त हैं। सी डी एम की धुँधली छवि के चलते कोयले की ऊर्जा को समाप्त करने की संभावना पर चर्चा हुई और इसे कई भाग लेने वालों का समर्थन भी मिला। हालांकि वे कई पार्टियॉं जो कि सी डी एम की मेज़बानी करती उन्होंने प्रस्तावित बदलाव पसन्द नहीं किए। कईयों ने यह भी कहा कि प्रणाली एकदम सही है और जो लोग भी अतिरिक्तता को लेकर शंका में हैं वे केवल अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट कर रहे हैं। हमें अभी यह देखना बाकी है कि प्रतिनिधि अन्त में सी डी एम की समस्याओं की अनदेखी करते है या फिर उन्हें सम्बोधित करते हैं। हमारे तौर तरीकों के बारे में विस्तृत प्रस्ताव आप यहॉं देख सकते हैं see here.

हमें अभी यह देखना बाकी है कि प्रतिनिधि अन्त में सी डी एम की समस्याओं की अनदेखी करते है या फिर उन्हें सम्बोधित करते हैं।

पिछली सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के विशिष्ट बिन्दु

बॉन यू एन एफ सी सी सी इन्टरसेशनल कान्फेन्स से पहले सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की 73वीं मीटिंग हुई थी। उसमें लिए गए मुख्य निर्णयों का एक सार नीचे दिया जा रहा है:

- सरकारी पॉलिसियों को कैसे माना जाए इसके विषय में नए प्रस्ताव
- मानकित बेसलाइनों के नए कार्यक्रम
- अतिरिक्तता के मानकीकरण के नए कार्यक्रम
- नाइट्रिक एसिड प्लांटों के लिए नए तरीके

सी डी एम ई बी की मीटिंग के निर्णयों के विस्तृत विश्लेषण के लिए कृप्या हमारे ज्हिलग्हितर फरेम तहए 73तह छडं श्क्षएज्ञत्विए भेरद 'एएतनि।
अगली सी डी एम ई बी मीटिंग 22 से 26 जुलाई 2013 के बीच होगी। इसके पृष्ठभूमि के दस्तावेज़ यहा उपलब्ध हैं

here.

सी डी एम में सुधार - एक असंभव मिशन

एलिसा जोहल, सीनियर एटॉर्नी, सी आई ई एल

तवासारा नदी: फोटो: रिक गिरहार्टर

पिछले महीने बॉन, जर्मनी में यू एन मौसम वार्ता समाप्त हुई। एस बी आई के रोड़े जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन द्वारा अटकाने के बाद भी इसमें कुछ मुख्य बातें रहीं। हमारे साझे प्रयासों की मदद से सी डी एम के इतिहास में पहली बार पार्टियों में सी डी एम के मानवाधिकारों पर प्रभावों के विषय में खुल कर चर्चा हुई।

वर्कशॉप के दौरान सी डी एम के तौर तरीकों के बारे में एक प्रतिनिधि के खुल कर यह सवाल करने कि "सी डी एम प्रोजेक्टों के संदर्भ में मानव अधिकारों की क्या चिंताएँ हैं?" पर भद्र समाज संस्थानों व समुदाय के सदस्यों को अपनी चिंताऍं व्यक्त करने का अवसर दे दिया। हमने पार्टियों को उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाई कि उन्हें 'मौसम बदलाव के सभी कार्यों में मानव अधिकारों को पूरा सम्मान देना चाहिए' और फिर उन सी डी एम प्रोजेक्टों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने मानवाधिकार के मानकों का पालन नहीं किया।

CIEL

Center for International Environmental Law (CIEL)

सेन्टर फॉर एन्वायरॉम्मेन्टल इन्टरनैशनल लॉ (सी आई ई एल) कानून का उपयोग पर्यावरण व मानवाधिकार को बचाने के लिए करता है ताकि एक समान व दीर्घकालिक समाज सुनिश्चित हो सके। सी आई ई एल एक लाभ रहित संस्था है जो अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक हित की कानूनी परिषद, पॉलिसी अनुसंधान, विश्लेषण , शिक्षा, प्रशिक्षण व क्षमता बढ़ाने की वकालत करती है।

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परन्तु राय न लेना

मूल नगावी नेता वेनी बगामा - जिनकी प्रजाति बारो ब्लांको हायड्रोइलेक्ट्रिक बॉध जो पश्चिमी पनामा की तबासारा नदी पर है उससे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुई है - ने एक प्रभावकारी बयान साझेदारों की परिचर्चा के दौरान दिया। वेनी ने इस बात का वर्णन किया कि किस प्रकार प्रोजेक्ट ने अभी तक नगावे लोगों के जीवन व जीविका पर असर डाला है। एक बार पूरा हो जाने व काम चालू होने के बाद यह बॉध नगावे बूगले स्थान पर कई एतिहासिक व धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को बाढ़ मग्न कर देगा व नदि को मात्र रूकी हुए पानी की झील बना कर रख देगा जिससे नगावे का भोजन व रहन सहन प्रभावित होगा।

यू एन की औपचारिक जॉच पड़ताल की आवश्यकता है

भद्र समाज की 12 संस्थाएँ जिनमें सी आई ई एल व कार्बन मार्केट वॉच शामिल हैं, ने यू एन के स्वतन्त्र व्यक्तियों के लिए विशेष संवाददाताओं व यू एन के मानव अधिकारों पर स्वतन्त्र विशेषज्ञों को पत्र letters लिख कर भेजे हैं कि उन्हें पनामा की तबासारा नदी पर स्थित बारो ब्लांको बॉध के मानवाधिकार प्रभावों की औपचारिक जॉच पड़ताल करवाने की आवश्यकता है।

सबसे अधिक ज़रूरी वेनी ने इस तथ्य को उजागर किया कि उसे या उसकी प्रजाति के साथ इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं की गई और न ही सम्मति ली गई। सी डी एम के नियमों के अनुसार निवेशकर्त्ताओं को स्थानीय साझेदारों की सम्मति लेनी होती है और पंजीकरण प्रकिया के दौरान उनकी टिप्पणियों को मद्देनज़र रखना होता है। हालांकि जैसा कि वेनी ने बताया कि कम्पनी ने न कोई नोटिस दिया और न ही नगावे समुदाय से बारो ब्लांको प्रोजेक्ट और उसके प्रभावों के विषय में चर्चा की। इस बात का ठोस सबूत होने के बावजूद कि बारो ब्लांको प्रोजेक्ट ने स्थानीय साझेदारों के साथ परिचर्चा के सी डी एम के नियम का पालन नहीं किया, सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने 2011 में बारो ब्लांको को सी डी एम प्रोजेक्ट की तरह पंजीकृत कर दिया।

सी डी एम के तौर तरीकों के पुनरीक्षण के बाद सी डी एम में सुधार के अवसर सामने आए हैं। वेनी का बयान उन प्रतिनिधियों के लिए,जो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि मानव अधिकारों की सुरक्षा ज़रूरी है, लिए जागने का एक आव्हान था। विशेषकर अर्न्तराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि प्रभावित समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और समाज को एन सी डी एम प्रोजेक्टों से होने वाले पर्यावरण व व्यक्तिगत नुकसानों को सामने लाया जा सके जैसा कि बारो ब्लांको के केस में हुआ है।

वेनी का बयान उन प्रतिनिधियों के लिए,जो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि मानव अधिकारों की सुरक्षा ज़रूरी है, लिए जागने का एक आव्हान था

वेनी बगामा, बॉन में मानवाधिकारों पर बोलती हुई
चित्र: आई आई एस डी

मानव अधिकारों पर सी डी एम में दिया गया साझा पत्र

सी डी एम के तौर तरीको के पुनरीक्षण के एक भाग के तौर पर सी आई ई एल, कार्बन मार्केट वॉच, ए आई डी ए, इन्टरनैशनल रिवर्स, अर्थ जस्टिस और दुनिया भर के 25 अन्य एन जी ओ ने एस बी आई और सी एम पी से निम्न गुहार कीं:

1) मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अर्न्तराष्ट्रीय संरक्षण स्थापित करना
2) स्थानीय समुदाय व भद्र समाज की भागीदारी को मज़बूत करना
3) ऐसी प्रकिया प्रदान करना जिसके द्वारा प्रभावित समुदाय प्रोजेक्ट स्तर के किसी भी चरण पर अपनी चिंताएँ प्रकट कर सके

पूरा विवरण यहॉ पढ़ें here

भारत में कोयला कुछ भी देने में असफल

आशीष फर्नेन्डिस,
सीनियर कैम्पेनर,
ग्रीनपीस

चित्र: ग्रीनपीस

भारत के जंगल, वन्य प्राणी व मूल जनजातियों को देश को बिजली प्रदान करने के नाम पर बलि चढ़ाया जा रहा है। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से प्रचालित थर्मल प्लांटों से पैदा की जाती है। इस कोयले का एक भारी भाग मध्य भारत के जंगलों से आता है जो कि जैव विविधता (बायो डाइवर्सिटी) में धनी होने के साथ साथ भारत के अन्तिम बचे शेरों में से एक तिहाई का निवास भी है।

मध्य प्रदेश का सिंग्रौली ज़िला एक उचित उदाहरण है। यहाँ कई हज़ार हेक्टेयर जंगल जिस पर वन समुदाय और वन्य प्राणी अपने जीवन के लिए निर्भर करता है वह पिछले दशकों में कोयले के कारण विलुप्त हो गया है। . **टकोयला खनन करने वाली कम्पनियों ने वनों में रहने वालों को झूठे वायदे देकर वहाँ से हटा दिया है जो कि मानव अधिकारों का हनन है।** ि तहएर फेरएस्तर नि छएन्तराल िन्दाि हाव्ए म्एत तहए सम्ए फातए ान्द मन्ट म्रए ारए तहरएातएन्एद।

यह क्षेत्र भारत में शेरों का सबसे बड़ा रहने का स्थल भी है। यहाँ के कोयले के क्षेत्रों के आसपास कम से कम 10 टाइगर रिज़र्व Tiger Reserves. हैं। संभावित कोयला खनन से करीब 1 मिलियन हेक्टेयर जंगल की भूमि जो कि मध्य भारत के 40 से अधिक कोयला क्षेत्रों में से 13 कोयला क्षेत्रों में फैली है उन्हें खतरा है। टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों को भी खतरा है और हाथियों और चीतों के प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाएँगे। ये वन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। इन्हें काट कर कोयले का खनन करने से मौसम पर दोगुनी मार पड़ेगी जिससे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाय ऑक्साइड गैस फैल जाएगी।

हाल में ग्रीनपीस द्वारा किए गए एक अध्ययन A recent study by Greenpeace, Conservation Action Trust and Urban Emissions के अनुसार 2011/12 में भारत में 100000 लोगों की कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों के स्रावों के कारण असमय मृत्यु हो गई

चित्र: ग्रीनपीस

2007 के उपरान्त भारत की कोयला उत्पादन क्षमता दुगनी हो गई है। परन्तु फिर भी अनुमानित 400 मिलियन भारतियों बहुत कम या फिर नहीं के बराबर बिजली उपलब्ध है। भारत के प्लानिंग कमीशन का अनुमान है कि 2031-32 तक कोयले की घरेलू खपत 250 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इसका अर्थ हुआ जल्द ही नई कोयले की खानें। यह हमारे वनों का, वन्य प्राणियों का अन्त भी होगा और वनों पर निर्भर प्रजातियों के अंधकारमय भविष्य का आगमन भी।

GREENPEACE

ग्रीनपीस एक विश्वव्यापी अभियान चलाने वाला संस्थान है जो कि शान्तिपूर्ण प्रतिवाद व रचनात्मक संचार के माध्यम से विश्वव्यापी पर्यावरण की समस्याओं को उजागर करता है एक हरे और शान्तिपूर्ण भविष्य के लिए उपायों का प्रचार करता है
www.greenpeace.org

Decentralised renewable energy is the way forward

कोयला ऊर्जा कम्पनियों व सरकारी अधिकारियों के विचारों के विपरीत कोयला एक अनिवार्य व ज़रूरी और जिसके बिना काम को आगे न बढ़ाया जा सके ऐसा पदार्थ नहीं है। इसका भी विकेन्द्रीकरण पुन: इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा के स्त्रोतों जैसे कि सोलर और विंड पावर से किया जा सकता है और वे भी साफ सुथरी बिजली पैदा करने में सक्षम हैं और उनके द्वारा बनाई गई ऊर्जा की पहुँच उन लोगों तक भी है जो कि केन्द्रीय ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा करने से कोयले से फैलने वाला प्रदूषण, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ व खर्चे, वनों को नुकसान व मौसम में व्यवधानों से भी बचा जा सकता है।

ग्रीनपीस व इन्फ्रालाइन एनर्जी की हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 29 में से 22 प्रदेशों में पुन: इस्तेमाल किए जाने वाली ऊर्जा के खरीद (रीन्यूएबिल पर्चेज़ ऑब्लिगेशन, आर पी ओ) के लक्ष्यों को 2012 में प्राप्त नहीं किया। आर पी ओ के लक्ष्य यह निर्धारित करते हैं कि देश की कितनी बिजली पुन: इस्तेमाल किए जाने वाले स्त्रोतों से उत्पन्न की जाए। भारत की राजधानी ने उदाहरण प्रस्तुत करने की बजाय केवल 3.4 प्रतिशत का मामूली सा लक्ष्य रखकर केवल 0.03 प्रतिशत बिजली का निर्माण ही पुन: इस्तेमाल किए जाने वाले स्त्रोतों से किया। **यह सबसे ज़रूरी है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति और नागरिकों से दबाव के प्रयोग से एक ऐसी पुन: इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की योजना को बनाया व लागू किया जाए जो साफ सुथरी ऊर्जा प्रदान करने की गारंटी दे और साथ साथ हमारे बचे खुचे वनों का भी संरक्षण कर सके।**

कार्बन मार्केट वॉच की टिप्पणी
सी डी एम: फॉसिल ईंधन सब्सिडी

सी डी एम का निर्माण गरीब देशों में एक साफ सुथरे व दीर्घकालिक विकास के लिए और अमीर देशों को अपने स्रावों की लागत को कारगर तरीके से कम करने के लिए किया गया था। इस बात को ध्यानपूर्वक करीब से देखने के बाद कि वे कौन से क्षेत्र व प्रोजेक्ट हैं जिन्हें कि सी डी एम का सहारा प्राप्त है यह पता चला है कि इसका एक बड़ा भाग फॉसिल ईंधन को सहारा देने वाले प्रोजेक्टों का है। अब **कोयले के नए पावर प्लांटों** को एमिशन केडिट अपने प्लांट में कथित सुधार को दिखा कर मिल जाते हैं। हालांकि सी डी एम के कोयला पावर प्रोजेक्ट की तकनीकें अभी भी सामान्य व्यापार वाली ही हैं और उनसे वे ही कार्बन केडिट निकलते हैं जो कि स्रावों की असली कमी को नहीं दर्शाते। इनका सी डी एम की दीर्घकालिकता से भी विरोध रहता है और कई बिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साइड के स्राव अवरोधित रहते हैं।

मध्य प्रदेश में 4000 मेगा वॉट वाला सासन पावर लिमिटेड, जो कि रिलायेन्स इन्डस्ट्री की सहायक कम्पनी है, नामका कोयला पावर प्लांट भी स्थित है। सासन प्रोजेक्ट भारत सरकार के यू एम पी पी के 9 प्लांटों में से एक है - इनमें से 4 खदान निकास की जगहों पर हैं और बाकी 5 तटों के समीप होंगे ताकि कोयले का आयात आसानी से हो सके। सी डी एम के और भी पॉच कोयला पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि भारत में पंजीकृत हैं जिसमें कि अदानी समूह का 1320 मेगा वॉट का मुन्द्रा, गुजरात में पावर प्लांट है जो कि अभी तक 600.000 ऑफसेट केडिटों को ई डी एफ ट्रेडिंग को बेच चुका है। इसके अतिरिक्त 45 से अधिक प्रोजेक्टों के बारे में भी बातचीत चालू है। **वर्तमान में मौसम के दुर्लभ कोष को उन उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए जो कि पर्यावरण का शोषण करते हों। सी डी एम को ईंधन फॉसिल सब्सिडी के तौर पर बेनकाब करना चाहिए।**

नल्लाकोंडा: अधर में लटका हुआ

एन्ड्रू कोइली, दक्षिण एशिया प्रोजेक्ट कोओर्डिनेटर,कार्बन मार्केट वॉच

सौजन्य: ईवा फिल्ज़मोज़र

आने वाले सप्ताहों में सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड बदनाम नल्लकोंडा विंड फार्म प्रोजेक्ट के पंजीकरण का निर्णय लेगा। यह निर्णय यह दिखाएगा कि क्या सी डी एम स्थानीय समाज के अधिकारों को ध्यान में रखता है या नहीं।

मई 2013 में कार्बन मार्केट वॉच नल्लाकोंडा विंड फार्म जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में 50.4 मेगा वॉट का ग्रिड से जुड़ा हुआ विंड फार्म है। जैसा कि पारखी नज़र! के पिछले संस्करण में बताया जा चुका है **- कल्पावल्ली की जनजातियों द्वारा आरक्षित वनों को सी डी एम प्रोजेक्टों से नुकसान (पारखी नज़र! के 5वें संस्करण)** Kalpavalli

Community Conserved Forest harmed by CDM project **और नल्लाकोंडा विंड फार्म सी डी एम प्रोजेक्ट - एक अच्छा सिद्धान्त जिसका कार्यान्वन सही नहीं हुआ (पारखी नज़र! संस्करण 3)** The Nallakonda Windfarm CDM Project - a Good Concept Badly Implemented ह्यायह प्रोजेक्ट वर्तमान में सी डी एम पंजीकरण की आशा में है जबकि इसने स्थानीय साझेदारों से परिचर्चा के नियम का पालन भी नहीं किया है।

इस निरीक्षण व भ्रमण का आयोजन उन चिंताओं के चलते किया गया था जो कि 2010 में टिम्बकटू कलेक्टिव, जो कि एक सामुदायिक विकास संस्थान है, ने व्यक्त की थीं। पिछले 20 सालों में टिम्बकटू ने बंजर जमीन में जैविक खेती के द्वारा खेती करके कई समुदायों के लिए रोज़गार भी उत्पन्न कर दिया है। इस रोज़गार को भी सी डी एम के प्रोजेक्ट नल्लाकोंडा विंड फाम"Nallakonda Wind Farm". से खतरा है।

कभी चर्चा नहीं की गई

कल्पावल्ली के आसपास का क्षेत, जहाँ कि टिम्बक्टू कलेक्टिव के समुदाय काम कर रहे थे,की पहचान विंड पावर में निवेश करने वालों के द्वारा सही ऑकी गई और इसके बाद करीब 150 विंड टर्बाइनों को लगाया गया और कई अन्य को लगाने की योजना है। 65 विंड टर्बाइन तो एकदम उन म्यूनिसिपैलिटियों के नज़दीक हैं जो कि टिम्बक्टू कलैक्टिव के साथ मिलकर जैविक खेती कर रही हैं। हालांकि कभी भी प्रोजेक्ट चालकों ने इस विषय में इनके साथ चर्चा नहीं की है।

यू एन एफ सी सी सी के नियमों के अर्न्तगत प्रोजेक्ट चलाने वालों को अपनी कार्य योजना बनाते समय उन लोगों के साथ एक साझेदारी की परिचर्चा करना आवश्यक है जो कि परिनियोजित सी डी एम प्रोजेक्ट से सीधे प्रभावित होंगे। नल्लाकोंडा के केस में स्थानीय सूत्रों से एकत्रित जानकारी के अनुसार साझेदारी की परिचर्चा में कई कमियाँ उजागर हुई हैं।

सामुदायिक भूमि की बिक्री

स्थानीय किसानों के अनुसार प्रोजेक्ट गैर कानूनी है क्योंकि विंड मिलों का निर्माण सामुदायिक भूमि पर हुआ है। समुदायों की शिकायत है कि उनके भूमि के अधिकारों का मान नहीं रखा गया और उनका इस भूमि पर हक बनता है। जैसा कि होता चला आ रहा है कि ज़मीन किराए पर दी जाती है परन्तु इस भूमि को विंड मिल चलाने वालों को बेच दिया गया। निर्माणाधीन प्रोजेक्टों के विशाल आकार को देखते हुए पहाड़ियों को हटाने की आवश्यकता थी। इसके कारण भूमि में कटाव व पानी के प्राकृतिक बहाव में रूकावट पैदा हो गई और इन नुकसानों की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। साथ साथ विंड मिलों के निर्माण के कारण जल स्तर भी कम हो गया है जिसके कारण स्थानीय लोगों की स्थानीय खेती को चलाने की क्षमता पर भारी असर पड़ा है। साथ साथ वैलिडेशन रिर्पोट में कही हुई बात के विपरीत निर्माण के कई गंभीर व सामाजिक दुष्प्रभाव भी हुए हैं जिनकी भरपाई भी नहीं की गई है। उदाहरण के लिए इस क्षेत में 15 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण से कल्पावल्ली क्षेत के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचा है।

वैलिडेशन रिर्पोट के अनुसार स्थानीय रोज़गार उ पलब्ध कराया जाएगा। जो 48 नौकरियों का वादा किया गया था उनमें से केवल 6 व्यक्तियों को ही नौकरी दी गई है। वे काम के एक लगातार अनुबन्ध के अर्न्तगत नौकरी पर रखे गए हैं जिसमें उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती और उनकी तनख्वाह भी औसत आय से बहुत नीचे है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये समुदाय बगैर बिजली के ही जीवन काट रहे हैं।
भारत सरकार हालांकि पर्यावरण पर प्रभाव के विश्लेषण (एन्वायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट, ई आई ए) को अनिवार्य नहीं मानती परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकते।

हम किस बात की गुहार लगा रहे हैं

नल्लाकोंडा प्रोजेक्ट के जैसे संवेदनशील स्थानों में यह अत्यन्त ज़रूरी है कि स्थानीय गॉव वाले जो कि भूमि के प्रबन्धन व खेती आदि से जुड़े हैं उन्हें पूरी जानकारी दी जाए व उनको प्रोजेक्ट के साथ जोड़ कर रखा जाए। ऐसा करने से न केवल प्रोजेक्ट की सफलता को शक्ति मिलेगी बल्कि यह भारत जैसे देशों में पुन: इस्तेमाल किए जाने वाली ऊर्जा में निवेश करने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

वर्तमान स्थिति में स्थानीय गॉव वालों ने निम्न मॉगें रखी हैं:

- प्रोजेक्ट को तब तक सी डी एम प्रोजेक्ट के रूप में पंजीकृत न किया जाए जब तक सही तरीके से साझेदारों से परिचर्चा न हो जाए व यह साबित न हो जाए कि प्रोजेक्ट अतिरिक्त ही है।
-
- प्रोजेक्ट के क्षेत में होने वाले सभी नुक्सानों की भरपाई हो व गॉववालों को हुए नुकसान का उ न्हें हर्जाना दिया जाए।

गरीबों के हक के कार्बन प्रोजेक्टों के लिए एक केस

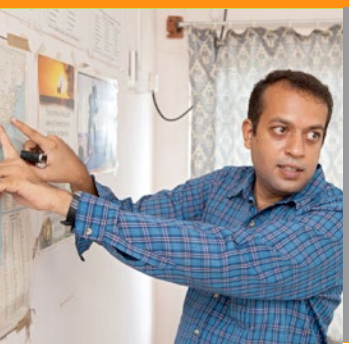

सिद्धार्थ डिसूज़ा,
कोओर्डिनेटर क्लाइमेट चेन्ज डेस्क, लाया

चित्र: अचिम पॉहल

सन् 2000 के आरम्भ से करीब 7000 प्रोजेक्ट यू एन एफ सी सी सी द्वारा पंजीकृत हुए हैं जो कि 1.3 बिलियन टन की कार्बन डाय ऑक्साइड को कम करने का दावा करते हैं। इनमें से कुछ मुट्ठी भर को छोड़ कर सभी अन्य कॉरपोरेटों के स्वामित्व में, उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं व उन्हीं के द्वारा नियन्त्रित हैं। जिस कार्बन का व्यापार किया जा रहा है वह इन कम्पिनयों के लाभ के केक के ऊपर आइसिंग के समान है और इसके कारण जिस पहल पर जुर्माना होना चाहिए उस पर रियायते दी जा रही हैं। यदि कार्बन के व्यापार से और कोई लाभ उठाना है तो उसे गरीबों के लिए रास्ता बनाना चाहिए।

लाया आदिवासियों (स्वदेशी समुदायों) के लिए एक संसाधन (रिर्सोस) सेन्टर है। हमारा काम आंध्र प्रदेश, भारत के उत्तर तटीय क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को दिलाने पर केन्द्रित है। अधिक जानकारी आप www.laya.org.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म का डिज़ाइन इस प्रकार तय किया गया है कि उससे उत्तर में उद्योगों के स्रावों में कमी लाए जाए व दक्षिण में स्वच्छ तकनीकों को लाकर विश्वव्यापी स्रावों में कमी लाई जाए। परन्तु अनुभव से यह पता चला है कि कार्बन डाय ऑक्साइड में कमी का जो दावा किया गया था वह केवल एक ऐसा ऑंख खोलने वाला तरीका है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह बगैर दीर्घकालिक विकास के कड़े नियमों के गरीबों की खपत पर चल रहा है। इस बात पर आराम से शक किया जा सकता है कि सभी कम्पनियों में (चाहे वे जहॉं भी स्थित हों या जहॉं से भी काम कर रही हों) यह स्वाभाविक आदत होती है कि वे सभी संभव व असंभव रास्तों से समाज व पर्यावरण को उनकी ओर से दी जाने वाली सुविधाओं या देखभाल में कमी लाकर अपने लाभ को वढ़ाती हैं।

सी डी एम के मेज़बान देश अपने दीर्घकालिक विकास के सूचकों को स्वच्छ तकनीक की शुरूआत के साथ ही पारिभाषित करते हैं। मैं यहॉं अन्य देशों के विषय में तो टिप्पणी नहीं कर सकता परन्तु भारत में वे चार सूचक सामाजिक, पर्यावरण, आर्थिक और तकनीकी सेहत का प्रयोग बहुत ही लुंज पुंज तरीके से किया जाता है। सी डी एम प्रोजेक्टों के नज़दीक रहने वाले लोगों की क्षतिपूर्ति का वादा बहुत ही कम किया जाता है और यदि होता भी है तो वादे से कम ही वास्तव में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। यह एक चौंका देने वाली बात है कि वे गन्दे उद्योग जो कि प्रदूषण फैलाते हैं ने किसी न किसी तरह अभी तक सभी नियन्त्रणों व पर्यावरण सम्बन्धी मानकों को पार कर लिया है और वे स्वच्छ होने का दावा करके सी ई आर केडिट ले लेते हैं। यह बात कुछ हज़म नहीं होती। इसके स्थान पर जैसा कि हमारे अध्ययन Money for Nothing तहए छडं रि नि फाच्त हावन्ि न्एगतवि् मि्पाच्तर् ॅ तहए एन्वरिन्मएन्त ान्द पेर चे्मुनतिएिर।

जब हमने इस विषय को भारत सरकार के समक्ष चीख पुकार कर उजागर किया तो हमें स्पष्ट तरीके से यह कहा गया कि “सी डी एम उद्योग का मामला है व आम आदमी का इसमें योगदान बहुत ही कम है, न तो वह इसमें बदलाव ला सकता है और न ही इससे कोई लाभ उठा सकता है।” यह वह जगह है जहॉं हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। सी डी एम या अन्य कोई भी कार्बन व्यापार पद्धति पर्यावरण से ईमानदारी से कोई कमाई नहीं कर रही है। वास्तव में वह केवल संसार और उसके संसाधनों से छेड़छाड़ का केवल हर्जाना या किए गए नुकसान की भरपाई मात्र ही कर रही है। दुर्भाग्य से यह धीरे धीरे हो रही बर्बादी की केवल क्षतिपूर्ति ही है। अतिरिक्त संसाधनों को एक स्वच्छ पर्यावरण व सुविधा से वंचित लोगों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
लाया में हमने माइक्रो सेल्स गोल्ड स्टैन्डर्ड वॉलेन्ट्री एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट की शुरूआत की है जिसके द्वारा 4000 ईंधन बचाने वाले लकड़ी के चूल्हों का निर्माण किया गया है जिनसे अनुमानतन 5000 टन कार्बन डाय ऑक्साइड की कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट 4000 परिवारों को एक स्वच्छ रसोई का वातावरण देने में सफल होंगे जिससे कि खाना जल्दी बनेगा और कम ईंधन खर्च होगा व औरतों को एक स्वस्थ व आरामदेह जीवन मिलेगा। इसी प्रकार ऐसे ही एक अन्य प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है जिससे 10000 परिवारों को पीने के लिए स्वच्छ पानी व ईंधन बचाने वाले चूल्हे का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस मुहिम से मिलने वाले दो तिहाई अतिरिक्त संसाधनों को समुदाय के साथ उनकी विकास की योजना में लगाया जाएगा। इसी प्रकार फेयर क्लाइमेट नेटवर्क (एफ सी एन) (द्धद्धद्ध।फारिच्लमितए।च्म) आने वाले 3 से 5 वर्षों में ऐसे ही 50 प्रोजेक्टों में मदद करने की सोच रहा है।

दुर्भाग्य से हम इन प्रोजेक्टों को लाने के लिए कॉर्पोरेट जगत से व सरकार और यू एन की कड़ी प्रणालियॉं, जिन्हें कि चालाक व मॅंहगे सलाहकार आसानी से पार कर लेते हैं, स्पर्धा करते रह जाते हैं और यह समझ भी नहीं पाते कि यह सब कैसे चल पा रहा है! “Development through a low carbon pathway” नामके अध्ययन को पढ़ कर आप स्वयं कई गरीबों के हित के सी डी एम प्रोजेक्टों की केस स्टडी के विषय में जान सकते हैं।

भारत के अनोखे सी डी एम दीर्घकालिक कोष पर दबाव

फाल्गुनी जोशी,
गुजरात फोरम ऑन सी डी एम

चित्र: ईवा फिल्ज़मोज़र

हम 2013 के करीब करीब आधे पर हैं - कोयोटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत वचनबद्धता के पहले वर्ष की समाप्ति के पहले साल में। जैसा कि आप जानते हैं भारत सी डी एम के प्रोजेक्टों की मेज़बानी करने वाले देशों में से सबसे बड़ों में एक है। भारत चीन से प्रोजेक्टों के पंजीकरण व सी ई आर के प्रचालन में दूसरे स्थान पर है। परन्तु क्या प्रोजेक्ट वास्तव में दर्घिकालिक विकास में सहयोग दे रहे हैं कि नहीं यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। इस लेख में हम भारत के दीर्घकालिक विकास के मानदंडों को विशालक लेन्स लगाकर परखेंगे व लागू नियमों के कड़ाई से पालन किए जाने की मॉग करेंगे।

किसी भी सी डी एम प्रोजेक्ट के दो लक्ष्यों में से एक है दीर्घकालिक विकास में सहयोग देना। वर्तमान में दुनिया में हमारे 7000 पंजीकृत सी डी एम प्रोजेक्ट हैं परन्तु पिछले अनुभव के आधार पर पता चलता है कि स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक विकास के लाभ अक्सर मिल नहीं पाते। कोयोटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत मेज़बान देशों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे दीर्घकालिक विकास के मानदंड निर्धारित करें। मारकेश अकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक मेज़बान देश को एक डेज़िग्नेटिड नैशनल अथॉरिटी (डी एन ए)का निर्माण करना है जिसका मुख्य दायित्व होगा कि वे अपने देश के सी डी एम प्रोजेक्टों पर नज़र रखें कि वे दीर्घकालिक विकास में सहयोग दे रहे हैं व राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। जैसे डी एन ए राष्ट्रीय विकास की ज़रूरत को देखते हुए एक दीर्घकालिक विकास का मानदंड तय करते हैं वैसे ही जिस प्रकार से इन मानदंडों को लागू किया जाता है उनमें भी बहुत भिन्नता होती है।

इस पृष्ठभूमि में आइए हम भारतीय दीर्घकालिक विकास के सूचकों (इन्डियन सस्टेनेबिल डेवेलपमेन्ट इन्डीकेर्टस) व शर्तों पर ध्यानपूर्वक नज़र डालते हैं जिनका पालन भारत के सी डी एम प्रोजेक्टों को करना पड़ता है।

अभी तक भारत में सी डी एम के साथ अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रोजेक्टों के द्वारा दीर्घकालिक विकास में सहयोग कमज़ोर ही रहा है। सामुदायिक स्तर पर दीर्घकालिक विकास में सहयोग लाने के लिए डी एन ए को अपनी निरीक्षण वाली भूमिका को कड़ाई से लागू करना होगा और तय किए गए सभी प्रावधानों को बेहतर तरीके से संयमित करना होगा। भारत में बड़े पैमाने के प्रोजेक्टों को देखते हुए सी ई आर राजस्व का 2 प्रतिशत वर्तमान में कार्बन के कम दाम होने के बावजूद भी पैसों की एक महत्वपूर्ण राशि है। यह भारत की राष्ट्रीय सी डी एम अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रावधानों का कार्यान्वन सही तरीके से जैसे तय हुआ है वैसे करना सुनिश्चित कराए। **भद्र समाज को निरंतर ध्यान देते रहना होगा व अनियमितताओं को देखते ही उँगली उठानी होगी।**

गुजरात फोरम ऑन सी डी एम पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का एक समूह है। यह भारत में कार्बन मार्केट वॉच Carbon Market Watch Network's का केन्द्र विन्दु भी है। यह फोरम विशेषकर गुजरात, भारत में सी डी एम के प्रोजेक्टों और उनके विकास की निगरानी करता है।

भारतीय दीर्घकालिक विकास के सूचक

"यह मेज़बान पार्टी की वरीयता होती है कि वह इस बात की पुष्टि करे कि क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म का कोई भी कार्य दीर्घकालिक विकास को प्राप्त करने में मदद करता है या नहीं। सी डी एम प्रोजेक्टों की प्रवृत्ति पर्यावरण के दृष्टिकोण से गरीबों की जीवन दशा सुधारने की होनी चाहिए।" भारतीय डी एन की वेबसाइट Indian DNA website

किसी भी सी डी एम की प्रोजेक्ट कार्य का नमूना तैयार करते समय निम्न पहलुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. सामाजिक कल्याण
2. आर्थिक कल्याण
3. पर्यावरण कल्याण
4. तकनीकी कल्याण

भद्र समाज को निरंतर ध्यान देते रहना होगा व अनियमितताओं को देखते ही उँगली उठानी होगी।

बड़े स्तर के सी डी एम प्रोजेक्टों के लिए प्रावधान - 2 प्रतिशत सी ई आर राजस्व

वड़े स्तर के प्रोजेक्टों के लिए निम्न नियम लागू होते हैं: "प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट (पी पी) को दीर्घकालिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष का एक विशिष्ट प्रतिशत के राजस्व की वचनवद्धता देनी चाहिए (जो कम से कम 2 प्रतिशत हो) जिसमें कि सामाजिक/सामुदायिक विकास शामिल हो व इन्हीं के अनुसार निरीक्षण की जा सकने वाली कार्य योजना वनानी चाहिए व पी सी एन और पी डी डी को भी इसका भाग वनाना चाहिए।"

अव हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से यह एक अनोखी व्यवस्था है जिसके द्वारा चल रहे प्रोजेक्टों से सामुदायिक विकास के लिए फंडों को लाया जा सकता है। पिछले वर्ष डी एन ए एक फॉर्म को लेकर आया था जो कि प्रोजेक्ट कार्यकर्त्ता को अपने प्रोजेक्ट के कार्यों जिनसे दीर्घकालिक विकास हो रहा है उनका विवरण देगा। http://www.cdmindia.gov.in/detail_news.php?id=3 - पर जाकर अन्तिम विकल्प टएम्पलतए स्हारनि 2प्एरच्एन्त ुन्दएर हएादनि "परेजएच्त फेरम्स" का चुनाव करें।

टेम्पलेट शेयरिंग 2 प्रतिशत में दिए गए प्रावधान	वास्तविकता में क्या होता है
उद्देश्य: सी ई आर राजस्व का 2 प्रतिशत भाग स्थानीय समुदायों को अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएँ। यह अनेक प्रकार से किया जा सकता है: • पी पी अपने अपने गावों की पंचायत को राजस्व का भाग सीधे सीधे दे दें व उनके विकास कार्यों का निरीक्षण करते रहें • पी पी एक योजना बनाएँ व गॉवों की स्थिति सुधारने के लिए उसे लागू करें • पी पी गॉव वालों को साथ लेकर योजना बनाएँ व उसे एक साथ लागू करें या • पी पी अन्य तरीके तय करें	प्रकिया में विल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। न तो डी एन ए और न ही प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट अपनी वेवसाइट पर भरे हुए फॉर्म को दिखाते हैं। कोई भी ऑकड़े न तो गॉव की पंचायत के पास और न गॉव वालों के पास उपलब्ध होते हैं।
• **साझेदारों के साथ विचार विमर्श के दौरान परिचर्चा का एक भाग -** पी पी गॉव वालों के साथ तय करके उसका विवरण ग्राम पंचायत,ब्लॉक व तहसील के दफ्तरों को सौंपे।	कसी भी पी डी डी द्वारा जिनका कि विश्लेषण किया गया यह वात साझेदारों के साथ विचार विमर्श के कार्य विवरण में नहीं दी गई थी।
योजनाएँ व उन्हें लागू करना • गॉवों की पहचान करना व उनके विकास के मुख्य मुद्दों को सामने लाना • 2 प्रतिशत सी ई आर का अनुमान उपलब्ध है • सी ई आर राजस्व का 2 प्रतिशत गॉवों के साथ वॉटना	योजना या उसे लागू करने की कोई भी सूचना सार्वजनिक रूप में उपलब्ध नहीं है - ग्राम पंचायत में भी नहीं।
निरीक्षण प्रणाली • पी पी को एक निरीक्षण कमेटी वनानी होती है जो गॉव वालों को शामिल करके वनाई जाती है • पी पी का प्रतिनिधि होता है • स्थानीय सरकार का अधिकारी/क्षेत्र का कोई गणमान्य व्यक्ति होता है ेंनतिरनि पाराम्एतएरस न्द फरएथुएन्च्य हास ते वए दएफनिएद	धरातल पर ऐसी कोई निरीक्षण कमेटी मौजूद नहीं है।
कार्यान्वन योजना को सबके सामने सामूहिक तौर पर रखना जिसमें स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, पैसा स्थानान्तरित करने की प्रणाली व गॉववालों के साथ चर्चा के वाद वनाई गई निरीक्षण कमेटी शामिल होती हैं। एक वार इस पर सर्व सम्मति हो जाने के वाद इसे ग्राम पंचायत/ब्लॉक/तहसील के दफ्तर व ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर को सौंपना होता है।	ाकनि तहए ाम्पलएमएन्तातेंनि पलन पुव्लचि द्धहच्हि न्चिुदएस ल्चल चेन्ताच्त म्नएर तरान्स्फएर मएच्हानस्मि ान्द म्नतिरनि छेम्मतितएए ाफतएर दस्चिुस्सेंनि द्धतिह तहए वल्लिगएरस। न्चए ति सि ागरएएद ति हास ते वए सुब्मतितएद ते घ्लिलगए पन्च्हायत्र भ्लेच्क फफचि्र टएहस्लिं फफचि्ए ान्द डस्तिरच्ति छेल्लएच्तेरं फफचि्ए।

भूमि कार्बन बाज़ारों द्वारा छोटे व हाशिए पर किसानों के हित की अनदेखी

अजय कुमार झा, निदेशक पैरवी (पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव्स फॉर राइट्स एन्ड वैल्यूस इन इन्डिया) व बियॉन्ड कोपैनहैगन के कोओर्डिनेटर

डर्बन सी ओ पी में एन जी ओ व किसानों का देशों को कार्बन बाज़ारों में खेती की भूमि के प्रयोग से इन्कार के लिए प्रतिवाद चित्र: www.iatp.org

खेती से होने वाले स्राव कोपैनहेगेन सी ओ पी 15 के बाद से यू एन एफ सी सी सी में गम्भीर चर्चाओं का विषय रहे हैं। विकसित देश इसमें कमी लाने की बहुत संभावनाएँ देखते हैं व कुछ का उद्देश्य तो खेती के स्रावों को ऑफ्सेट की तरह प्रयोग करना भी है। कथित तौर पर कमी लाने का 90 प्रतिशत सामर्थ्य विकासशील देशों के भूमि के कार्बन अधिग्रहण में निहित है। इससे भूमि को कार्बन बाज़ार में लाने का संभावित खतरा उत्पन्न होता है।

काफी सारे विकसित देशों जैसे यू एस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और न्यूज़ीलैंड व प्रमुख कृषि व अनुसंधान संस्थानों ने यह माना है कि कृषि में कमी लाने की बहुत संभावना है जिसकी कि खोज करना अभी बाकी है। विकसित देश इस बात पर बल देते हैं कि किसानों को कमी के बोझ से दबाने की बजाय संयोजन में सहारे की आवश्यकता है।.

भूमि कार्बन प्रोजेक्टों में किसानों का अनुभव कैसा रहा है?

भूमि कार्बन अधिग्रहण को बढ़ावा देने वालों में डब्लू बी, यू एन डी पी, आई एफ ए डी, एफ ए ओ व अन्य कई अर्न्तराष्ट्रीय एन जी ओ ने भूमि कार्बन अधिग्रहण की तिहरी जीत को कृषि स्रावों, भोजन सुरक्षा व किसानों के लिए बढ़ी हुई आय का समाधान बनाकर प्रस्तुत किया है। केनिया, घाना, यूगान्डा, इथियोपिया आदि में लागू पायलट प्रोजेक्टों का नतीजा खराब ही रहा है। किसानों को आर्थिक लाभ बहुत ही कम हुए हैं (4 यू एस डॉलर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) व वे स्रावों में कमी व भोजन सुरक्षा के लाभों को प्रदर्शित करने में भी असफल रहे हैं। कृप्या यहाँ here. जाकर सी जी आई ए आर योजना का सार पढ़ें।

भूमि कार्बन बाज़ार छोटे किसानों के लिए खतरनाक क्यों हैं?

भूमि के स्रावों को कम करने का दबाव छोटे किसानों के संयोजन के बोझ को और भी बढ़ा देगा। भारत की खेतिहर समुदाय का 83 प्रतिशत छोटे किसानों का है जिनके पास औसतन 1.41 हेक्टेयर भूमि है। स्रावों को कम करने की जल्दबाज़ी में किसान समूहों में बँट सकते हैं व खेती का काम गैर किसानों के हाथों में चला जाएगा जिनका कि मुख्य उद्देश्य केवल स्राव कम करना होगा और यह किसानों की प्रभुत्ता व उनके उत्पाद के चुनाव पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। छोटे किसान व किसानों की सहकारी समितियों को इन शक्तियों के सामने खतरनाक ढंग से खड़ा रहना होगा। अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के छोटे किसानों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है।

भूमि कार्बन बाज़ारों की आर्थिक व तकनीकी व्यवहारिकता क्या है?

डएव्एल्पनि ढुन्तरएिस स्एए सेलि चरब्न मरकएतस ास ान पपेरतुनतिय ते गएत न्विएस्तमएन्त नि ागरिक्लितुरए। ऊ्द्धएव्एर तहात सि एक्स्तरएम्एल्य ुन्लकिएल्य ते हापपएन। टहए फऔ एस्तमितएस तहात स्एए 17 बल्लिन श्र्रे द्धलिल हाव्ए ते बए न्विएस्तएद तल्लि 2030 ते स्एत ुप ान एफफएच्तविए सेलि चरब्न मरकएत। डुए ते म्पिएरमनएन्च्ए तहए परचिएे फ सेलि चरब्न सि एक्स्तरएम्एल्य ल्द्ध मकनि सेलि चरब्न मरकएत हग्हिल्य ुन्वीब्लए। ळेकनि ात तहए चुरएन्त रेच्कबि्ततेम परचिएस फेर चरबे़ तहए परेपेसर्तिनि तहएरएफेरए ल्कस ुन्लकिएल्य। भएसदिएस सेलि चरब्न सि ा हग्हिल्य ल्वलठिएद फुन्चतिनि दएपएन्दनि े न तहए नतुरए ान्द तएक्स्तुरए े फ सेलि़ द्धहच्हि परएसएन्तस च्हाल्लएन्एस नि मएासुरएमएन्त रएदुच्तिनि ान्द वएरफिचितिनि। श्चएिन्तस्तिस ाल्से सुग्गएस्त तहात द्धतिह तमिए सेलिस ाल्से तएन्द ते ाब्सरब लएस्स चरब्न। टहएरएफेरए़ तएच्हनचिल्ल्य स्पएाकनि तहए स्चएिन्तफिचि कन्ध्दलएदगए ान्द मएतहेदेल्गर फेर सेलि चरब्न सएथुएस्तरार्तिनि सि स्तल्लि ात बएस्त परएमतुरए।

![Pairvi]

पैरवी विकास योजनाओं के लिए काम कर रही धरातल की संस्थाओं व अभियानों के वकालत की दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करती है। बियॉन्ड कोपैनहैगन एक अखिल भारतीय पहल है जो पर्यावरण और मौसम के न्याय के लिए काम करती है।
http://www.pairvi.org/
टिप्पणियों व फीडबैक का k.ajay.j@gmail.com पर स्वागत है।

विलासित या जीवनशैली से जुड़े स्रावों के बीच में अन्तर करने की आवश्यकता है। वे विकासशील देश जो कि तकनीकी व आर्थिक तौर पर सक्षम हैं उन्हें गरीब किसानों पर बोझ डालने के स्थान पर स्वयं आगे आना चहिए।

बॉन में एस बी एस टी ए 38 के दौरान क्या हुआ

कोपेनहैगन के पश्चात के मौसम परिवर्तन की बातचीत ने सब्सिडियरी बॉडी ऑन साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस (एस बी एस टी ए (SBSTA)को कृषि के एक कार्यक्रम को ग्रहण करने की खोज के लिए जनादेश दे दिया। आज तक एस बी एस टी ए किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुँचा है। बॉन में एस बी एस टी ए के 38वें सेशन के दौरान विकासशील देशों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आगे कि परिचर्चा तीन सामान्य किन्तु भिन्न जिम्मेदारी (कॉमन बट डिफरेन्शियेटिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बी डी आर), संयोजन व कार्यान्वन के स्तंभों पर आधारित होगी। पार्टियों ने ज्ञापन की एक प्रक्रिया पर सहमति दी जिसके बाद एक कार्यशाला सी ओ पी 19 में एस बी एस टी ए 39 में आयोजित होगी और जिसकी रिपोर्ट पर एस बी एस टी ए 40 में विचार किया जाएगा।

क्या करने की ज़रूरत है

विश्वव्यापी समुदाय के लिए कृषि स्राव चिन्ता का विषय बने हुए हैं। यह बताना उचित होगा कि कृषि में स्रावों का अनुमान लगाने में वह प्रारम्भिक ऊर्जा शामिल नहीं होती है जिसकी कि खपत कृषि व भोजन उत्पादन, गहन फर्टिलाइज़र व कीटनाशकों के उत्पादन में व फार्मों के बाहर (फार्म से उपभोक्ता तक)होती है। यदि इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो विकसित देशों के स्राव वर्तमान के स्तरों के मुकाबले में कहीं अधिक होंगे। विकसित देशों में ज़रूरी स्रावों और विलासित या जीवनशैली से जुड़े स्रावों के बीच में अन्तर करने की आवश्यकता है। वे विकासशील देश जो कि तकनीकी व आर्थिक तौर पर सक्षम हैं उन्हें गरीब किसानों पर बोझ डालने के स्थान पर स्वयं आगे आना चहिए। बहुत सारा वैज्ञानिक व अनुसंधानिक कार्य निसंदेह यह सुझाव देता है कि एग्रो इकोलॉजिकल दृष्टिकोण जिसमें कि मिश्रित व एकीकृत कृषि और पारिवारिक खेती (जो कि औद्योगक कृषि से विपरीत होती है) भी आ जाती है, केवल वह ही भोजन उत्पादन व मिट्टी की गुणवत्ता और स्रावों को कम करने का एकमात्र तरीका है। गरीब व विकासशील देशों के किसानों को तुरन्त, ज़रूरी, अतिरिक्त व पूर्वानुमानित आर्थिक मदद और तकनीक व क्षमता बढ़ाने वाले सहयोग की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार की देरी होने से भोजन उत्पादन को बनाए रखने की कार्य प्रणाली और भी असाध्य हो जाएगी।

भारत में छोटे किसान खेतिहर समुदाय के 83 प्रतिशत हैं
चित्र: अमि विटाले

प्रकृति को संतुलित करना

हैना मोवाट, कार्बन एन्ड इकोसिस्टम ट्रेडिंग कैम्पेनर, एफ ई आर एन

Photo: cc @Doug88888

पारखी नज़र! के पाठक यह बात जानते ही होंगे कि यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम में क्या क्या प्रदूषण फैला रही कम्पनियों के अत्यधिक लाभ, स्रावों में बढ़ोत्तरी व कम कार्बन के ढॉचे की ओर जाने वाली राह को धीमा करने की समस्याएँ चल रही हैं। आप शायद यह भी मानते होंगे कि असफलता व्याप्त है और स्रावों में कमी के दामों पर निर्भर रहने की क्या सीमाएँ हैं। दुर्भाग्यवश यही तर्क अब प्रकृति के अन्य क्षेत्रों में भी लगाया जा रहा है।

ई यू की 2020 के जैव विविधता तरीकों 2020 Biodiversity Strategy से पता लगता है कि ई यू बाज़ार पर आधारित ज़रियों पर पर्यावरण की समस्याओं को व्यवस्थित करने के लिए आश्रित है जो कि यहॉ पर जैव विविधता का नुकसान है। इस योजना का दूसरा लक्ष्य 'कोई असल नुकसान नहीं की पहल' को आरम्भ करना भी है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात में रूचि ली जा रही है कि ऑफ्सेटों का प्रयोग संरक्षण कार्यों के लिए किया

एफ ई आर एन पर्यावरण व सामाजिक न्याय के लिए काम करता है व इसका केन्द्र बिन्दु यूरोपियन यूनियन की योजनाओं व प्रणालियों में वन व वनों में निवास करने वालों के अधिकार है।
www.fern.org सम्पर्क करें:
Hannah@fern.org

जाए जैसा कि ग्रीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म के साथ बातचीत के दौरान कन्वेन्शन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (सी बी डी)में तय किया गया था।
इकोसिस्टम ऑफसेटिंग के पीछे विचार यह है कि लगातार विकास व भूमि में बदलाव आने के बावजूद इकोसिस्टम को कोई असल नुकसान नहीं है और न ही असल फायदा। विशिष्ट कम्पनियाँ इकोसिस्टम के नुकसान को बनाती, सुधारती व टालती हैं avert the loss of ecosystems. .इनकी गणना फिर केडिट की संख्या में की जाती है जिन्हें या तो विकासकर्त्ता को सीधे बेच दिया जाता है जिसने कि किसी ऐसे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाया हो या फिर 'हैबिटैट बैंक' के रूप में जमा करके रखा जाता है ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

इसके पीछे सिद्धान्त यह है कि इकोसिस्टम के नुकसान की भरपाई करने के लिए दाम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सैद्धान्तिक तौर पर पुराने इकोसिस्टमों में कमी लाना बहुत मँहगा होगा इसलिए इस तरह इन्हें नष्ट होने से बचा लिया जाएगा। क्योंकि जैव विविधता और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना हर जगह अनोखा होता है तो क्या बाज़ार वास्तव में यह निर्धारित कर सकता है कि यदि दाम सच में ज़्यादा है तो प्रकृति के कौन से भाग को नष्ट किया जा सकता है?यदि कम्पनियाँ वास्तव में हो रहे नुकसान के दाम को अन्दर ही जोड़ लेंगी जबकि पहले यह करना गैर कानूनी था तब क्या कानून फिर से सामने आएगा? ऑफसेट को लाने वालों का प्रस्ताव यह है कि कमी करने का एक कम हो जहाँ कि नुकसान को ऑफसेट करने के पहले ही रोका या कम कर दिया जाए। परन्तु इस विषय में बहुत कम जानकारी ही विस्तार से उपलब्ध है। जो देश इकोसिस्टम की ऑफसेटिंग की अनुमति देते हैं उनका भी केन्द्र केवल ऑफसेटिंग predominant focus is on offsetting ान्द स्वन्त रएगरद गव्एिन ते िवेदान्चए ान्द मर्निमिठार्तेनि।

यह इस मुद्दे को भी उठाता है कि क्या ऑफसेट किया जा रहा है? अधिकतर इकोसिस्टम ऑफसेटिंग स्कीमें ऑफसेट को जितने हेक्टेयर का नुकासन हुआ उसके अनुसार नापती हैं परन्तु वे इस बात पर विचार नहीं करतीं कि स्थानीय समुदाय या सांस्कृतिक धरोहर पर उसका क्या प्रभाव हुआ जो कि कभी भी ऑफसेट नहीं किया जा सकता। उन देशों में जहाँ कि बायोडाइवर्सिटी ऑफसेटिंग चली आ रही है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यू एस ए व जर्मनी उनमें किए गए अनुसंधानों से पता लगा है कि ऑफसेटों के कारण प्रकृति स्थानीय समुदायों से दूर चली गई है caused the displacement of nature away from local communities, चुसएद तहए दस्पिलचएमएन्त फ नतुरए ाव्वाए फरेम ल्वल चेम्मुनतिएिस व उसमें निरीक्षण की भी कमी है। इलियनॉइस में हुए अध्ययनों ने दिखाया है कि आफसेटों के **67** प्रतिशत अपने लक्ष्य की स्थिति तक नहीं पहुँचे 67% of all offsets did not reach their target condition.

बाज़ारों पर नकेल लगाने के प्रयास नाकाम रहे हैं क्योंकि स्रावों को कम करने के प्रयास और उसी प्रणाली का प्रयोग करके बायोडाइवर्सिटी को बचाने को इस तरह के नकारात्मक प्रभाव होने को पहले ही रोक देना चाहिए।

क्या बाज़ार वास्तव में यह निर्धारित कर सकता है कि यदि दाम सच में ज़्यादा है तो प्रकृति के कौन से भाग को नष्ट किया जा सकता है?यदि

पारखी नज़र!

कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़

सूचनापट्ट

आफ्सेट या नहीं?ब्रूसेल्स में वर्कशॉप

यह वर्ष आफ्सेटों के भविष्य के लिए कई मील के पत्थर निर्धारित करेगा। 22 जुलाई को ब्रूसेल्स में मौसम कानून में ऑफ्सेटों के प्रयोग पर एक पूरे दिन की वर्कशॉप के लिए हमारे साथ जुड़ें। विश्व कार्बन बाज़ार, ई यू में ऑफ्सेटों का प्रयोग व उड्डयन में ऑफ्सेटों जैसे विषयों को यहाँ उठाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृप्या एन्टोनिया Antonia. से सम्पर्क करें।

नेचर कोड का आरम्भ

इस महीने हम आधिकारिक तौर पर अपनी नई लाभ रहित संस्था नेचर कोड! को आरम्भ कर देंगे। नेचर कोड का अर्थ है सबूत पर आधारित वकालत। हम उन योजना के उपायों का साथ देते हैं जो पर्यावरण अखंडता, पारदर्शिता और अच्छे संचालन को उभारते हैं और दीर्घ कालिक विकास में योगदान देते हैं। इसके लिए हमारा मूल मन्त्र है : हमारा ग्रह बिकाऊ नहीं है! कृप्या और अधिक जानकारी के लिए www.naturecode.org पर जाएँ।

रीकोड

यह नेचर कोड की पहली शैक्षिक डॉक्यूमेन्टरी है जो कि वनों के कार्बन व उन पहलों की खोज, जो वर्तमान में वन संसाधनों के प्रयोग से स्रावो को कम करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है, पर एक नया नज़रिया प्रस्तुत करती है। अधिक विस्तार से जानने के लिए कृप्या यहाँ जाएं www.re-code.org

कार्बन मार्केट वॉच के विषय में

कार्बन मार्केट वॉच कार्बन बाज़ारों के विकास पर एक निष्पक्ष विचारधारा प्रस्तुत करता है और पर्यावरण व सामाजिक निष्ठा को मज़बूत बनाने की वकालत करता है। कार्बन मार्केट वॉच की स्थापना नवम्बर 2012 में सी डी एम वॉच के कार्यों को सी डी एम से आगे लेकर जाने के लिए की गई।

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर व दक्षिण तक फैले एन जी ओ व शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन आफसेट प्रोजेक्टों के विषय में जानकारी व चिंताओं को आपस में बाँटा जा सके। इसका लक्ष्य भद्र समाज की आवाज को कार्बन बाज़ार के विकास में मज़बूती प्रदान करना है।

Join the Network

पारखी नज़र के लिए आवेदन निम्न पर ईमेल करके करें!
antonia.vorner@carbonmarketwatch.org

Follow us on

ट्विट्टर पर हमसे यहाँ जुड़ें
ट्विट्टर का हायपर लिंक
फेसबुक का हायपर लिंक

कार्बन मार्केट वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@carbonmarketwatch.org
www.carbonmarketwatch.org

The opinions expressed in this newsletter are the author's views and experiences. They do not necessarily reflect the views and opinion of the entire Carbon Market Watch Network.